Subject :—Instructions for preparing a self-contained note in respect of important files and keeping it up-to-date.

वय: सभी वित्तायुक्त तथा प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे।

प्राय: यह देखने में आया है कि एक ही केस में समय-समय पर सहायकों को self contained note प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है जिसके फलस्वरूप उन्हें केस की पूर्व स्थिति को बार-बार दोहराने में अनावश्यक परिश्रम करना पड़ता है तथा मामले के निपटान में विलम्ब होता है। इस परिस्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि आरम्भ में ही मामले के सभी पहलुओं के बारे एक विस्तृत नोट तैयार करके उसकी एक प्रति अलग flying cover में रखी जाए, जिसमें समय-समय पर उस केस में हुई प्रगति के बारे additions की जाया करें। इस प्रकार केस प्रस्तुत करते समय हर बार विस्तृत नोट लिखने की आवश्यकता न होगी और नई स्थिति एक संक्षिप्त नोट में दर्शाई जाकर पूर्व इतिहास के बारे अधिकारियों का ध्यान अलग flying cover में रखे विस्तृत नोट की ओर दिलाया जा सकता है।

3. अनुरोध है कि इन हिदायतों का दृढ़ता से पालन किया जाए।

हस्ता/-

अवर सचिव, प्रशासकीय सुधार,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

सभी वित्तायुक्त तथा प्रशासकीय सचिव,
हरियाणा सरकार।

अशा0 क्रमांक 31/13/79–6 ए0आर0, दिनांक, चण्डीगढ़ 28 मई, 1979।

एक प्रति सभी संयुक्त सचिवों/उप सचिवों/ अवर सचिवों आदि को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

हस्ता/–

अवर सचिव, प्रशासकीय सुधार,
कृते मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव,
हरियाणा सरकार।

अशा0 क्रमांक 31/13/79–6 ए0आर0, दिनांक, चण्डीगढ़ 28 मई, 1979।